

बिहार सरकार

विधि विभाग

(कार्यपालिका नियमावली के नियम-53(1)ग एवं 32(क) XIX के अन्तर्गत)

॥ आदेश ॥

आदेश सं०-एस०पी०(नि०)-०९/२०२३-...../ब०, पटना, दिनांक- १७-०३-२३
२४५

चूँकि सचिव, विधि विभाग को संबोधित जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की संचिका संख्या-22/नि०सि०(अभि०)भा०-२२-१२/२०२२ में उपलब्ध कागजातों एवं कांड दैनिकी में अंकित साक्षों के परिशीलन के बाद, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना कांड सं०-४८/२०१५ दिनांक-२५.०६.२०१५ के प्राथमिकी अभियुक्त श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, (आई०डी०न०-०५८७), तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र के तहत बोल्डर की फर्जी आपूर्ति एवं ढुलाई मापी पुस्त में अंकित कर अवैध रूप से प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम चालू विपत्र के माध्यम से कुलं राशि ५२,२१,१३१.०८/- (बावन लाख एककीस हजार एक सौ एकतीस रूपये आठ पैसा) का दोषपूर्ण भुगतान संवेदक को किये जाने एवं सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाये जाने का प्रथम दृष्ट्या आरोप परिलक्षित होता है, जिससे उनके विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-467, 468, 471, 409, 420, 120(बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1)(सी)(डी) के तहत दं०प्र०सं० की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के प्रावधानों के तहत अभियोजन के लिये प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है,

और चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या-२) की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुये या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया गया अभिकथित हो, राज्य सरकार के मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है,

और चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, (आई०डी०न०-०५८७), तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत ऐसे लोक सेवक हैं जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते हैं और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया है,

और अब इसलिये राज्य सरकार एतद् द्वारा भा०द०वि० की धारा-467, 468, 471, 409, 420, 120(बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1)(सी)(डी) के तहत दं०प्र०सं० की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

५८५२३
(रमेश चन्द्र मालवीय)
सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

क००४०३०.....

ज्ञाप संख्या-एस०पी०(गि०)-०९/२०२३-...../ज्ञ०, १८५ पट्टना, दिनांक- १७.०५.२३

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पट्टना की संचिका संख्या-२२/निःसि०(अभिः) भाग०-२२-१२/२०२२ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

४४/१६५/२३
(रमेश चन्द्र मालवीय)
सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।
१६५/२३

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-२२/निःसि०(अभिः) भाग०-२२-१२/२०२२ / / पट्टना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पट्टना को उनके पत्रांक-३२७६,
दिनांक ०१.१२.२०२२ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(संतोष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

ज्ञापांक-२२/निःसि०(अभिः) भाग०-२२-१२/२०२२ / १३। / पट्टना दिनांक- ०६-०६-२०२३

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/कार्यपालक अभिःता (आई०टी०), आई०टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पट्टना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-५, ६, ७, ८, ९, १२ एवं २२ जल संसाधन विभाग, बिहार, पट्टना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लैंकुमार/मर्दा
०५.६.२३
(संतोष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव